

बिहार स्टाम्प  
(संशोधन) नियमावली  
२००४

निबंधन सं० पी० टी०-४०



# बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 फाल्गुन 1925 (सं०)  
पटना, बुधवार, 3 मार्च 2004

निबंधन विभाग  
अधिरूनाएं

28 फरवरी 2004

सं० II एन1-1019/2000 (छाया)-भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा-75 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल बिहार स्टाम्प नियमावली, 1954 को संशोधन हेतु निम्नलिखित नियमावली विनिर्मित करते हैं :

बिहार स्टाम्प (संशोधन) नियमावली, 2004

- नाम, विस्तार एवं प्रारंभ --(1) यह नियमावली बिहार स्टाम्प (संशोधन) नियमावली, 2004 कही जाएगी ।  
(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा ।  
(3) यह राज्य सरकार के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होगी ।
- बिहार स्टाम्प नियमावली 1954 (इसके बाद 'उक्त नियमावली' के रूप में संदर्भित) के नियम 3, उपनियम (2) के परन्तुक के बाद निम्नलिखित परन्तुक जोड़े जाएंगे, यथा :  
'परन्तु यह भी कि निबंधन विभाग ऐसी शर्तों के अधीन, जिसे अधिरूपित करना उचित समझे, लिखतों पर देय मुद्रांक कर के भुगतान को उपदर्शित करने के लिए लिखतों पर छाप करने हेतु स्टाम्पिंग या छिद्रण मशीन या पैकिंग मशीन/टेक्स मीटर के व्यवहार के लिए प्राधिकृत कर सकते हैं, और इस प्रकार किसी लिखत पर किए गए ऐसे प्राधिकृत छाप का वैसा ही प्रभाव होगा ! जैसे कि देय कर के बराबर छाप द्वारा उपदर्शित राशि सम्यक रूप से अदा कर दी गयी है, और वह लिखत, जिस पर इस प्रकार राशि अदा की जाएगी, भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा-10 उप-धारा (1) के अधीन सम्यक रूप से मुद्रांकित माना जाएगा।'  
बिहार स्टाम्प नियमावली, 1954 का नियम 10 निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :  
'10. कुल मामलों में उचित पदाधिकारी द्वारा लेबुल चिपकाना या छापना-भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 के अधीन सभी प्रकार के लिखतों पर देय मुद्रांक कर का लेबुल उचित पदाधिकारी द्वारा चिपकाया और, या छपा और, या, छिद्रण किया जा सकता है।'

4. (क) बिहार स्टाम्प नियमावली, 1954 के नियम 11 के उप नियम (1) में "नियम 10 में निर्दिष्ट" शब्दों एवं अंकों को विलोपित किया जाएगा।  
 (ख) उक्त नियमावली, के नियम 11 के उप नियम (2) में "स्टाम्पिंग मशीन या छिद्रण मशीन" शब्दों के बाद "क्रैकिंग मशीन या टैक्समीटर" शब्दों को जोड़ा जाएगा।
5. बिहार स्टाम्प नियमावली 1954 का नियम 11 के बाद नियम 11 (क) निम्न प्रकार से अन्तः स्थापित किए जाएंगे, यथा :-  
 "11-(क) क्रैकिंग मशीन या टैक्स मीटर के व्यवहार के लिए प्राधिकरण  
 (i) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अधीन ऐसे सभी प्रकार के लिखतों पर, जिनपर मुद्रांक कर देय है, छाप द्वारा मुद्रांक कर भुगतान करने के लिए क्रैकिंग मशीन/टैक्स मीटर का भी व्यवहार किया जा सकेगा।  
 (ii) सरकार के सचिव, निबंधन विभाग द्वारा सभी प्रकार के लिखतों पर देय मुद्रांक कर के भुगतान को उपदर्शित करने के लिए लिखतों पर छाप के प्रयोजनार्थ सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्रपत्र-11 में क्रैकिंग मशीन के व्यवहार के लिए प्राधिकृत किया जा सकेगा।  
 (iii) यदि सचिव, निबंधन विभाग संतुष्ट हों कि जनहित में किसी व्यक्ति या किसी पदाधिकारी या निकाय या संस्थान को विलेखों के निष्पादन एवं उस पर देय मुद्रांक कर की सीमा तक क्रैकिंग मशीन या टैक्समीटर के व्यवहार के लिए प्राधिकृत किया जाना आवश्यक है, तो वे लिखित आदेश के द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन ऐसे व्यक्ति या पदाधिकारी या निकाय या संस्थान को प्राधिकृत कर सकते हैं।"
6. बिहार स्टाम्प नियमावली, 1954 का परिशिष्ट-1 निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित किया जाएगा -  
 "नियम 9 के प्रयोजनार्थ उपयुक्त पदाधिकारी राज्य सरकार के द्वारा प्राधिकृत राज्य सरकार का कोई भी पदाधिकारी"

बिहार राज्यपाल के आदेश से  
 (ह०)-अस्पष्ट,  
 सरकार के सचिव।

सं० 11 एम1-1019/2000 (छाया)-बिहार स्टाम्प (संशोधन) नियमावली, 2004 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जैसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त नियमावली का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से  
 (ह०)-अस्पष्ट,  
 सरकार के सचिव

Dated the 28 February 2004

No. II एम1-1019/2000 (छाया) -In exercise of the power conferred under section 75 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act II of 1899), the Government of Bihar makes the following rules to amend the Bihar Stamp Rules, 1954

**BIHAR STAMP (AMENDMENT) RULES-2004**

1. Name, extent and commencement --(1) This Rule shall be called the Bihar Stamp (Amendment) Rules, 2004  
 (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar  
 (3) It shall come into force from the date of notification in the official gazette.

2. In rule 3 of the Bihar Stamp Rules, 1954 (herein after referred to as the "said rules"), after proviso to Sub Rule (2), the following proviso shall be added, namely --

"Provided also that the Department of Registration may subject to such conditions as it thinks proper to impose, authorize any officer of the State Government for the use of Stamping or Perforating machine or franking machine/tax meter for making impressions on instruments chargeable with duties to indicate the payment of stamp duty and any such authorized impression on any instrument shall have the same effect, as if the amount equal to the payable duty indicated by the impression has been duly paid and the instrument on which the amount shall be paid in such way shall be supposed to be duly stamped under sub section (1) of section 10 of the Indian Stamp Act, 1899.

3. Rule 10 of the Bihar Stamp Rules, 1954 shall be substituted as follows : "10-A Affixing and impressing of labels by proper officer in certain cases Labels may be affixed or, and impressed or, and perforated by the proper officer on all instruments chargeable with the stamp duty under the Indian Stamp Act, 1899.

4. (a) In Sub-rule (1) of rule 11 of the Bihar Stamp rules, 1954, the words and figures "Specified under rule 10" shall be deleted.

(b) In Sub-rule (2) of the said rules, after the words "stamping or perforating machine" the words "franking machine or the tax meter" shall be added.

5. In Sub Rule (1) of rule 11 of the Bihar Stamp Rules, 1954 a new rule 11(a) shall be inserted as follows:

11(a) - Authorization for the use of franking machine or tax meter-

(i) The franking machine or tax meter may also be used for payment of stamp duty by impression on all kinds of instruments on which stamp duty is payable under the Indian Stamp Act, 1899.

(ii) The secretary to the Government Department of Registration, may by general or special order, authorize in Form.-II, the use of franking machine/tax meter for impressions on instruments to indicate the payment of stamp duty payable on such instruments.

(iii) If the Secretary to the Government, Department of Registration is satisfied that to the extent of the instruments executed and the stamp duty chargeable there on, it is necessary in the public interest, to authorize any person or any office, body or institution, subject to such conditions as may be specified in the said order.

6. Appendix-I to the Bihar Stamp Rules, 1954 shall be substituted as follows :

"Proper officers" within the meaning of Rule 9" -

"Any officer of the state Government authorised by the state Government."

By the order of the Governor of Bihar,

Sd/-Illigible,

Secretary to the Government

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण लेखन सामग्री भंडार एवं प्रकाशन द्वारा प्रकाशित एवं  
अधीक्षक बिहार सचिवालय मुद्रणालय, पटना द्वारा मुद्रित ।  
बि०स०मु० (असाधारण) 100-571+503-